26.5.22 वकील उपस्थित उपस्थित। पत्रावली में वाद सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र सामान्य हाय अंतर्गत धारा 212 RT Act के तहत पंजीयन विवादित आराजी खसरा नंबर 7385 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 7524 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 7529 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 7479, 7480, 7481, 7486, 7489, 7490, 7491, 7494, 7495, 7496, 7497, 7519, 7528 कुल जिला 13 कुल रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा लगान कार्यवाही पटवार हल्का-10 तहसील करौली पर स्थगन आदेश जारी करने हेतु निवेदन लिया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 28.09.2020 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब लिया गया। उपस्थित वकील द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से अस्थाई निषेधाज्ञा को बरकरार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश दिया जाता है कि इस वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखी जाये। पारित आदेश 28.09.2020 को [illegible] जाता है। पत्रावली दैनिक क्रमांक [illegible] के [illegible] पालना की आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:27:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)